पाँचवा-स्तम्भ

30 CUTS International 1983 2012

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 16, अंक 2/2015

स्थानीय निकायों को अधिक सशक्त करने की आवश्यकता

'कट्स' द्वारा दि एशिया फाउण्डेशन के सहयोग से माई सिटी परियोजना के अन्तर्गत 15 अप्रेल 2015 को जयपुर में राजस्थान महापौर सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में जयपुर के महापौर निर्मल नाहटा, कोटा के महापौर महेश विजयवर्गीय, भरतपुर के महापौर शिव सिंह भोंट व उप-महापौर इन्द्रपाल ने भाग लिया और शहरी स्थानीय निकायों की समस्याओं एवं संभावित समाधानों पर चर्चा की।

जयपुर के महापौर निर्मल नाहटा ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों को शक्तियां दी जानी चाहिए। साथ ही, उन्होंने कहा कि शक्तियों का बंटवारा समान रूप से होना चाहिए तथा महापौर के साथ ही स्थानीय स्तर के पार्षदगणों को भी अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए, जिससे कि वे अपना कार्य आसानी से पूरा कर सकें।

उन्होंने बताया कि हाल ही वर्तमान सरकार द्वारा बहुत अच्छा कदम उठाया गया है, जिसमें सारी शक्तियां बोर्ड में निहित कर दी गई हैं। उनके अनुसार वार्ड कमेटियों का गठन भी किया जाना चाहिए।

कोटा के महापौर महेश विजयवर्गीय ने कहा कि कोटा में सफाई की परेशानी है तथा सफाई कर्मचारियों के द्वारा भी समय पर कार्य पूरा नहीं किया जाना है। नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा जन प्रतिनिधि व महापौर को सहयोग नहीं किया जाता है। सरकार के द्वारा महापौर के लिए कभी कोई मंच उपलब्ध नहीं कराया गया है, जहां वह अपनी समस्याओं से सरकार को अवगत करा सकें।

भरतपुर के महापौर शिव सिंह भोंट ने कहा कि भरतपुर निगम में कर्मचारियों के साथ-साथ संसाधनों की भी कमी है। यदि संसाधनों की उपलब्धता और वार्ड कमेटियों का गठन हो तो हम अपनी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। अन्य देशों की तरह भारत में भी महापौर को अधिक शक्तियां मिलनी चाहिए व सरकार का उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उप-महापौर इन्द्रपाल सिंह ने कहा कि शहरों की योजनाएं एक समान न होकर वहां की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए।

राज्य आयोजना बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष प्रो.वी.एस.व्यास ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए अपने संबोधन में कहा कि स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में ताल-मेल होना जरूरी है साथ ही स्थानीय निकायों के वित्तीय सशक्तिकरण व दक्षता संवर्धन जैसे विषयों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। रामावतार रघुवंशी, निदेशक, राजस्थान स्वायत शासन संस्था ने सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त करते हुए देश में बेहतर काम करने वाली स्थानीय निकायों की कार्यशैली के बारे में बताया। जयपुर के पूर्व उप-महापौर मनीष पारीक ने भी चर्चा में भाग लिया। उन्होंने 'कट्स' द्वारा आयोजित महापौर सम्मेलन की सराहना करते हुए भविष्य में भी इस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करने का आग्रह किया।

प्रारम्भ में 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने अपने स्वागत सम्बोधन में बताया कि वर्तमान समय में शहरीकरण के कारण समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही है। अतः स्थानीय स्तर की सरकार को शक्तियों के साथ-साथ स्थानीय नागरिकों की भागीदारी भी बढ़ाई जानी चाहिए। 'कट्स' के परियोजना समन्वयक अमर दीप सिंह ने जयपुर शहर में अगस्त, 2013 से चलाई जा रही माई सिटी परियोजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि किस प्रकार नागरिकों की भागीदारी के द्वारा सेवा वितरण में सकारात्मक बदलाव आए हैं, और स्थानीय निकायों के लिए लाभदायक रहे हैं।

इस अंक में...

- पंखों के मेंटिनेंस बिल में गड़बड़ी 3
- काला धन: देना होगा सवालों का जवाब ... 5
- गरीबों के लिए तीन बड़ी योजनाएं 7
- गांवों में शुद्ध पानी के दावे फेल 9
- राज्य की दशा बदल देंगी महिलाएं! 10

किसानों को परम्परागत जैविक खेती की ओर आना होगा

'कट्स' द्वारा राजस्थान के छह जिलों में स्वीडिश सोसायटी फॉर नेचर कन्जरवेशन के आर्थिक सहयोग से जैविक उपभोग को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना का संचालन किया जा रहा है। इस परियोजना की विभिन्न गतिविधियों की कड़ी में 29 मई 2015 को जयपुर में जिला स्तरीय परिचर्चा आयोजित की गई। इस परिचर्चा में भारतीय किसान संघ के एन.एल मीणा ने बताया कि राजस्थान में जैविक खेती की प्रचुर संभावनाएं हैं। भारत में हरित क्रांति के दौर से आज तक किसान रासायनिक खेती पर ही निर्भर हैं। किसानों को अब धीरे-धीरे परम्परागत जैविक खेती की ओर आना होगा। कृषि भूमि की शक्ति को उन्नत करने के लिए तीन वर्ष का समय आवश्यक है।

डॉ.एस.मुखर्जी, प्रोफेसर उद्यानिकी विभाग, दुर्गापुरा ने परिचर्चा में जयपुर जिले के 13 ब्लॉकों से आए किसान प्रतिनिधियों एवं उपभोक्ताओं को बताया कि जैविक खेती से धीरे-धीरे उत्पादकता में वृद्धि होती है। इस खेती के द्वारा किसान धैर्य रखकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं।

डॉ. बी.डी. यादव, सीनियर साईन्टिस्ट, आर.ए.आर.आई ने जैविक उत्पादों के उपभोग से होने वाले फायदों के बारे में बताया और घरेलू उत्पादन की आसान विधियां बताई। डॉ.एस.एस यादव, प्रोफेसर स्वामी केशवानन्द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने किसानों को खाद्य प्रसंस्करण को अपनाने पर बल दिया।

कार्यक्रम के प्रारंभ में 'कट्स' के परियोजना समन्वयक अमरजीत सिंह ने बैठक के महत्व व उद्देश्य के बारे में संभागियों को बताया तथा वरिष्ठ कार्यक्रम समन्वयक दीपक सक्सेना ने प्रस्तुतिकरण द्वारा परियोजना के अन्तर्गत किए गए शोध के मुख्य परिणामों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आंकड़ों के अनुसार 91.3 प्रतिशत किसान रासायनिक खाद व कीटनाशकों के नकारात्मक प्रभावों के प्रति जागरूक हैं, हालांकि 90.7 प्रतिशत किसान अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक खाद व कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं।

यह तथ्य राजस्थान के छह जिलों जयपुर, दौसा, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ में 'कट्स' द्वारा प्रो-ओर्गेनिक परियोजना के अन्तर्गत किए गए अध्ययन से प्राप्त हुए। इस अध्ययन में 1536 उपभोक्ताओं एवं 1529 किसानों को शामिल किया गया। अंत में उपस्थित प्रतिभागियों ने जैविक उपभोग को बढ़ाने हेतु जागरूकता कार्यक्रम, बाजार विकास, सरकार द्वारा अनुदान आदि आवश्यकताओं पर चर्चा की।

कार्यक्रम में कृषि विषय विशेषज्ञों, जयपुर जिले की सभी 13 पंचायत समितियों के करीब 53 किसानों व उपभोक्ताओं ने जैविक खेती तथा उसके उपयोग की जरूरत व महत्व के बारे में चर्चा की तथा संस्था को इसके प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न सुझाव दिए। इसी प्रकार की जिला स्तरीय परिचर्चाएं 8 अप्रेल को प्रतापगढ़, 15 अप्रेल को उदयपुर, 30 अप्रेल को चितौड़गढ़ और 14 मई 2015 को कोटा में आयोजित की गई।

बिजली उपभोक्ताओं को जागरूक करना आवश्यक!

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन विश्वनाथ हीरामथ का मानना है कि देश हो या प्रदेश बिजली का क्षेत्र काफी चुनौतिपूर्ण है। सभी चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन तकनीकी सुधार व उपभोक्ताओं को जागरूक कर इस पर जीत हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस बात को ध्यान में रखकर आयोग ने इस बार बिजली कंपनियों के टेरिफ आदेश में न सिर्फ उपभोक्ता जागरूकता का जिक्र किया है, बल्कि इसके लिए 50-50 लाख रुपए का अलग से प्रावधान भी किया है।

हीरामथ ने 'कट्स' इंटरनेशनल व जर्मन संस्था एफईएस इंडिया की ओर से आयोजित 'ग्रीन ग्रोथ एवं एनर्जी सिक्योरिटी इन इंडिया पोलिटिकल इकोनोमी ट्रांसफोरमेशन एण्ड चैलेन्जेज' विषयक संगोष्ठी में उक्त जानकारी देते हुए कहा कि आने वाला कल पारम्परिक ऊर्जा के बजाय अक्षय ऊर्जा का होगा। इसके लिए आमजन को भी तैयार रहना चाहिए।

कार्यक्रम में 'कट्स' के महामंत्री प्रदीप एस महता ने अक्षय ऊर्जा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बिजली की मांग और उपलब्धता के बीच के अन्तर को अक्षय ऊर्जा के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। जर्मन संस्था के प्रतिनिधि मार्क सेक्सर ने कहा कि ऊर्जा परिवर्तन पर अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चाएं हो चुकी हैं, जिसमें अक्षय ऊर्जा की संभावित भूमिका तेजी से उभर कर सामने आई है। ऐसे में जरूरी है कि अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए कदम बढ़ाए जाएं। संगोष्ठी में विद्युत क्षेत्र के कई विशेषज्ञों ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

पंखों के मेंटिनेंस बिल में गड़बड़ी

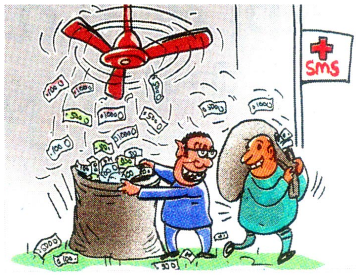

3500 पंखों के एक साल मेंटिनेंस का बिल 16 लाख रुपए है। शायद यह पढ़कर थोड़ी हैरानी हो, लेकिन यह सच है। ठेकेदार ने ऐसा ही बिल जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल प्रशासन को दिया है। यह बिल दो टेबल से पास भी हो चुका है। इतने पैसे में तो 1600 नए पंखे खरीदे जा सकते थे। बिल जब एडमिनिस्ट्रेशन के पास आया तो थोड़ा संदिग्ध लगा।

अस्पताल प्रशासन ने दीपक एंटरप्राइजेज को अस्पताल के पंखों की मेंटिनेंस का काम दिया था। बिल के संदिग्ध होने पर ठेकेदार को बुलाया गया और बिल के बारे में बात की तो उसने सभी पंखों की मरम्मत की बात करते हुए बिल को सही बताया। उसने कुछ रुपए कम करने की बात भी की। मामला चिकित्सा अधीक्षक के नोटिस में लाया गया तो उन्होंने भी बिल को सही नहीं ठहराया। अब पंखों की जांच के लिए सहायक लेखाधिकारी और स्टोर कीपर को लगाया गया है। फिलहाल बिल का भुगतान रोक दिया गया है। *(दै.भा., 30.05.15)*

आरओ प्लांट खरीद में गड़बड़ी

राज्य में आमजन को शुद्ध पेयजल आपूर्ति के मकसद से लगाए जाने वाले 1000 आरओ प्लांट्स के लिए अप्रेल 2013 में 198 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई। जलदाय विभाग ने इस योजना में अपनों को उपकृत करने का खेल किया।

राज्य में करीब 14 लाख रुपए में एक आरओ संयंत्र लगवाने वाले विभाग ने मात्र तीन माह की अवधि में ही एकाएक सौदे को साढ़े 19 लाख रुपए तक पहुंचा दिया। अभी तक करीब 700 आरओ प्लांट लगाए जा चुके हैं। खरीद में हुई इस गड़बड़ी पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने भी सवाल उठाए हैं। *(रा.प., 15.04.15)*

कर्ज लिया और हड़प गए

सहकारी बैंकों में प्रतिनियुक्ति पर आए करीब 20 अफसरों ने रियायती दर पर इन सहकारी बैंकों से कर्ज और क्रेडिट कार्ड लिए और पैसा हड़प गए। प्रारम्भिक जांच में अनुमान लगाया गया है कि यह राशि 80 लाख रुपए तक की हो सकती है।

सहकारिता मंत्री अजय सिंह ने बताया कि सहकारी संस्थाओं में खासतौर से केन्द्रीय सहकारी बैंकों व सहकारी भूमि विकास बैंकों में प्रतिनियुक्ति पर लगाए गए अफसरों व कर्मचारियों की ओर से लिए गए यह कर्ज अवधि पार हो गए हैं। इनमें से कई अफसर रिटायर हो चुके हैं। *(दै.न. एवं दै.भा., 10.06.15)*

आंख मूंद किया करोड़ों का भुगतान

कंगाली से जूझ रही जयपुर डिस्कॉम ने एक फर्म के आधे-अधूरे काम पर मेहरबानी दिखाई। आईटी विंग के अभियंताओं ने आंख बन्द कर न सिर्फ कंज्यूमर इंडेक्सिंग लोड सर्वे व डेटा अपडेशन के काम पर मुहर लगा दी, बल्कि फर्म को अनुबन्ध के हिसाब से छह करोड़ से अधिक का भुगतान भी कर दिया।

करीब पांच साल पहले की इस कारगुजारी का पिछले दिनों खुलासा होने पर डिस्कॉम के आलाधिकारियों ने आनन-फानन में विस्तृत जांच के आदेश तो दिए, लेकिन उच्च प्रबंधन के बदलाव के साथ ही पूरे मामले को ठण्डे बस्ते में डाल दिया। अब तक न तो विस्तृत जांच ही हुई और न ही जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई। अधिकारी यह कह कर खुद का बचाव कर रहे हैं कि मामले को दिखवाया जा रहा है। *(रा.प., 31.03.15)*

पंचायत चुनाव में सरकारी चूक

जनवरी में हुए पंचायत चुनावों को लेकर राज्य सरकार हाईकोर्ट की अवमानना मामले में फंस सकती है। दरअसल पंचायत चुनावों में महिलाओं को हाईकोर्ट की रोक के बावजूद 50 प्रतिशत आरक्षण दे दिया गया, जबकि नियमानुसार 33 प्रतिशत ही आरक्षण दिया जाना चाहिए था। इस गंभीर चूक के कारण चुनाव में पुरुष उम्मीदवारों को 17 प्रतिशत सीटों का नुकसान हुआ।

पंचायतीराज मंत्री सुरेंद्र गोयल ने माना है कि इस मामले में लापरवाही बरती गई। अब हाईकोर्ट में इस गलती के लिए माफी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं है। *(दै.भा., 27.06.15)*

पेयजल योजनाओं में घोटाला

जलदाय विभाग के दौसा खण्ड में पिछले तीन सालों से लगातार पेयजल योजनाओं में 235 करोड़ रुपए के घोटाले की आवाज स्थानीय जन समुदाय द्वारा उठाई जाती रही, लेकिन उच्च पदों पर बैठे अधिकारी मामले को दबाते रहे। हाल ही हुए खुलासे से सामने आया है कि वर्ष 2012 से लगातार गड़बड़ियां होती रही, लेकिन तत्कालीन एक्सईएन की राजनीतिक पहुंच होने से मामले को दबाने के प्रयास किए जाते रहे।

घोटाले में कई और आला अफसरों के नाम भी सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्चस्तरीय जांच कराने का फैसला लिया है। जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी ने कहा है कि किसी भी हालत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। *(दै.न., 16.04.15)*

पौधरोपण को ठेंगा, हजारों पौधे दफन

वन विभाग को अरावली पर्वत श्रृंखला को हरा-भरा बनाने के लिए पिछले साल बस्सी रेन्ज के लालगढ़ वन नाका क्षेत्र के चपड़िया गांव ऐरिया में स्टेट प्लान के तहत वन क्षेत्र की रिजर्व जमीन पर 100 हेक्टेयर एरिया में 50 हजार पौधे लगाने थे।

विभागीय मन-मुटाव के चलते करीब 10 हजार पौधों को जमीन में एक जगह खाई खोद कर दफन कर दिया गया। पौधरोपण के अलावा खाई फेंसिंग व पत्थर की दीवार बनाने में भी भारी अनियमितता बरती गई।

इसके बाद उच्चाधिकारियों ने भी मामले को दबा दिया। मामला तब उजागर हुआ जब विभाग के लोगों में आपसी कहासुनी और मन-मुटाव हुआ। राज खुलने के बाद अधिकारी इस मामले में बात करने से भी कतरा रहे हैं। *(दै.भा., 07.06.15)*

जयपुर में 28 करोड़ का जलदाय घोटाला

जयपुर जिले के जिला ग्रामीण खण्ड प्रथम में वर्ष 2012-13 व 2013-14 के दौरान अधीक्षण अभियंता मनीष बेनीवाल ने 28 करोड़ 26 लाख 71 हजार रुपए के बिल अनाधिकृत रूप से पास करा दिए। पैसा कहां लगा, कितना लगा, इसकी किसी को भी खबर नहीं होने दी। इतना ही नहीं तत्कालीन चीफ इंजीनियर अनिल भार्गव हर प्रस्ताव को आंख मूंद कर पास करते रहे।

अब जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी के समक्ष प्रकरण आया तो उन्होंने जांच कराई। प्रथम दृष्टया जांच में 28 करोड़ रुपए से ज्यादा की वित्तीय गड़बड़ियां मिली हैं। यह भी सामने आया कि बेनीवाल की तरफ से जो कार्य एक करोड़ रुपए की लागत का था, उसके बिल 2-3 करोड़ रुपए तक पास कराए गए। चीफ इंजीनियर भी उन बिलों को पास करते रहे। बेनीवाल को निलंबित किया गया है तथा भार्गव को चार्जशीट जारी की गई है। *(दै.भा., 07.05.15)*

सरकारी खजाने को लगाया चूना

प्रदेश में परिवहन विभाग के सरकारी खजाने में अधिकारियों ने करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। इसका खुलासा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जांच रिपोर्ट में किया गया है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य में 18 प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों एवं जिला परिवहन कार्यालयों की मई 2013 से मार्च 2014 तक की गई जांच में अप्रेल 2010 से 2013 तक 4054 वाहन स्वामियों ने वाहन कर एवं विशेष कर का भुगतान नहीं किया तो कईयों ने भुगतान निर्धारित दर से कम किया। अधिकारियों द्वारा बरती गई लापरवाही से विभाग को 12.37 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ। *(दै.न., 15.06.15)*

सौ करोड़ की जमीन एक रुपए में

विकास के लिए पैसा नहीं होने की बात कहने वाले जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने 100 करोड़ रुपए की जमीन एक रुपए में दे दी। सारे नियमों की अनदेखी कर यह मेहरबानी हुई इस्हाकिया अल-अशफाकिया ट्रस्ट पर, जो रजिस्टर्ड तक नहीं है। इसे राजीव गांधी नगर के पास गंगाणा के खसरा नंबर 1-2 में 33 बीघा जमीन मात्र एक रुपए की टोकन मनी पर आवंटित की गई।

यह खेल विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से ठीक पहले हुआ। खास यह है कि जमीन देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से सीएमओ ने जेडीए को पत्र लिखा था। इसके बाद सिर्फ जमीन ही नहीं दी गई बल्कि उस पर चारदीवारी के लिए 86.30 लाख रुपए का वर्क आर्डर भी जारी कर दिया गया। *(दै.भा., 16.04.15)*

बंगले में बंट गई गरीबों की राहत

गरीबों को तत्काल राहत देने के लिए मंत्रियों के स्वविवेक अनुदान की राशि उनके बंगलों में कर्मचारियों और स्टाफ के रिश्तेदारों में बंट रही है। इसकी शिकायतों को अधिकारी रफा-दफा कर रहे हैं। मामला लोकायुक्त तक पहुंच गया है। कार्मिक विभाग से इस शिकायत पर जानकारी मांगी गई है।

पिछली सरकार के जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय के कोष की राशि में भी गड़बड़ी की शिकायत पहुंची है। ऐसी शिकायतें पहली बार नहीं आई है, कार्मिक विभाग को इस राशि के बंटवारे को लेकर पहले भी शिकायतें मिल चुकी है। लेकिन विभाग ने बजाय जांच के खानापूर्ति कर मामला रफा-दफा कर दिया। राशि के बंटवारे पर निगरानी हेतु कोई सिस्टम भी नहीं बना है। *(रा.प., 30.06.15)*

दवा उपलब्धता की कवायद अटकी

करोड़ों रुपए की मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में मरीजों के लिए दवाओं की उपलब्धता हर समय बनाए रखने के लिए सरकारी कवायद नीतिगत कमियों के कारण अटक कर रह गई है। इसके चलते वितरण केन्द्रों पर दवा की कमी की नियमित जानकारी नहीं मिल पा रही है।

पहले दवा वितरण केन्द्रों पर ई-औषधि सॉफ्टवेयर पर नियमित एंट्री के लिए ई-मित्र कियोस्क लगाने की कवायद शुरू की गई थी, लेकिन विभाग ने यह जिम्मेदारी वर्तमान में सूचना एवं तकनीक विभाग को दी हुई है। इससे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री भी नाखुश बताए जा रहे हैं। उनकी मंशा केन्द्रों पर पहले संविदा पर लगाए गए युवाओं को इस काम में प्राथमिकता देने की है। *(रा.प., 21.04.15)*

आदर्श गांव बनाने की कछुवा चाल

गांवों को आदर्श बनाने की प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की फ्लेगशिप योजना प्रदेश में कछुवा चाल से चल रही है। सांसद आदर्श गांव योजना के लिए आठ माह में सांसदों की कार्यशाला की तारीख तक तय नहीं हुई है। जबकि सांसदों की जागरूकता के लिए कार्यशाला नहीं होने पर केन्द्र सरकार भी नाराजगी जता चुकी है।

सांसद आदर्श गांव योजना की तर्ज पर फरवरी में राज्य में गांवों का विकास का नया मंत्र बताते हुए शुरू की गई मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना का हाल यह है कि विधायकों द्वारा तीन माह बीतने के बाद भी करीब आधे जिलों में एक भी ग्राम पंचायत नहीं चुनी गई। इसमें कई मंत्री भी अभी पीछे हैं। योजना में 200 विधायकों में से करीब 70 विधायकों ने ही अभी तक ग्राम पंचायत चुनी है। *(रा.प., 17.05.15)*

मिड डे मील कुपोषण का शिकार

संसद की एक समिति ने देश के 111 जिलों में मिड डे मील योजना कारगर ढंग से लागू नहीं होने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2006 से 2013-14 तक 10 लाख 713 स्कूलों में रसोईघर व स्टोर बनाए जाने की मंजूरी दी गई, लेकिन 22 प्रतिशत से भी ज्यादा स्कूलों में अभी तक रसोईघर व स्टोर नहीं बने। अर्थात 2 लाख 34 हजार स्कूलों में अभी तक रसोईघर नहीं है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले 6 साल में इस योजना पर 17 प्रतिशत बजट राशि खर्च ही नहीं की गई, जिससे 111 जिलों में यह योजना कारगर ढंग से लागू नहीं हो पाई तथा 30 प्रतिशत छात्र अभी भी इसका फायदा नहीं उठा पा रहे। *(रा.प., 03.05.15)*

रिश्वत के बिना नहीं चलती जिन्दगी

भले ही आमतौर पर लोग आपको भ्रष्टाचार का विरोध करते दिखें लेकिन अपने अधिकांश काम करवाने के लिए आम आदमी को रिश्वत देनी पड़ रही है। सरकार की भी तमाम कोशिशों के बावजूद देश में रिश्वतखोरी की समस्या पर लगाम नहीं लग पा रही है।

नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की ओर से किए गए सर्वे के अनुसार एक शहरी परिवार सालाना करीब 4400 रुपए रिश्वत देता है। ग्रामीण इलाकों में मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, पीडीएस और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लाभ लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है।

इस सर्वे में बताया गया है कि शहरों की तुलना में एक ग्रामीण परिवार हर साल करीब 2900 रुपए रिश्वत देता है। आम आदमी अपने साधारण कामों में, एडमिशन और पुलिस को सबसे ज्यादा रिश्वत देता है।

(रा.प., 25.05.15)

कारोबारी गलत नहीं मानते घूसखोरी

सरकार के देश में कारोबार करने को सरल बनाने के सभी प्रयासों के बावजूद, मौजूद चुनौतियों के बीच देश के 66 प्रतिशत कारोबारी रिश्वतखोरी को गलत नहीं मानते हैं। शोध सलाह देने वाली कंपनी 'ईवाई' द्वारा जारी एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें शामिल कारोबारियों में से 66 प्रतिशत ने कारोबार के निर्बाध संचालन के लिए घूसखोरी को तर्कसंगत बताया है। जबकि पिछले साल यह प्रतिशत 59 प्रतिशत रहा था।

रिपोर्ट के अनुसार 35 प्रतिशत ने माना है कि रिश्वत एवं भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों की वजह से बाजार की प्रतिस्पर्धा में उन्हें नुकसान पहुंचा है। इसमें 57 प्रतिशत का कहना है कि नियमन के बहुत से नियमों के कारण उनके कारोबार का विकास प्रभावित हुआ है।

(दै.न., 22.05.15)

घूसखोरी से कैसे निपटे विभाग?

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए हेल्पलाइन जारी कर दी है लेकिन घूसखोरी पर लगाम लगाने वाले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो नफरी की कमी से बदतर हालात के दौर से गुजर रहा है। विभाग में चपरासी से लेकर महानिदेशक तक के पद खाली हैं।

आंकड़े तो यहां तक बयां करते हैं कि विभाग में स्वीकृत पदों के अनुसार कभी भी स्टाफ नियुक्त नहीं रहा, चाहे वह चपरासी का हो या फिर पुलिस अधीक्षक का। वर्तमान में पुलिस महानिदेशक व एडीजी के अलावा अन्य कई पद खाली पड़े हैं। *(दै.न., 06.04.15)*

भ्रष्टाचार ब्यूरो में अफसरों की फौज

भ्रष्टाचार की बढ़ती फाइलों के बोझ को कम करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में सरकार ने पहली बार आठ आईपीएस अफसरों की फौज तैनात की है। इससे पहले कभी पांच तो कभी छह आईपीएस अधिकारी एसीबी में तैनात रहे थे। वर्ष 2007-08 में पूर्व डीजी ओमेन्द्र भारद्वाज के कार्यकाल के दौरान एसीबी में सात आईपीएस अधिकारी कुछ समय के लिए ही रहे। लेकिन एक साथ डीजी, एडीजी, और तीन आईजी एसीबी में कभी नहीं रहे।

अफसरों की इस फौज के लिए चुनौतियां भी कम नहीं है। एसीबी में 2500 मामले जांच के लिए पेंडिंग पड़े हैं। पेंडिंग केसों की संख्या कभी इतनी नहीं रही। अब तक यह कहा जा रहा था कि अधिकारियों की कमी के कारण जांच नहीं हो रही है।

(दै.भा., 29.06.15)

25 लाख से बड़े मामले सीबीआई को

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 25 लाख रुपए से ज्यादा के फर्जीवाड़े के मामलों की जांच अब केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) करेगा। यह आदेश हाल ही केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीबीसी) ने जारी किए हैं। सीबीसी का मानना है कि आर्थिक अपराध व धोखाधड़ी से जुड़े गंभीर व बड़े मामलों की जांच सीबीआई को ही सौंपी जानी चाहिए।

अब तक इस तरह के मामले स्थानीय पुलिस को सौंपे जाते थे। सीबीसी ने ऐसे मामलों को गंभीर माना है। सीबीसी का मानना है कि क्षेत्राधिकार छोटा होने के साथ ऐसे मामलों में बाहरी हस्तक्षेप की भी आशंका रहती है। *(रा.प., 15.04.15)*

काला धन: देना होगा सवालों का जवाब

नए काला धन कानून के तहत अगले वित्त वर्ष से कर विभाग के सवालों का जवाब नहीं देने पर दो लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। ब्लेक मनी (अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स) एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट विधेयक, 2015 में न्यूनतम 50 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है।

इसके अलावा टैक्स अधिकारी विदेशों में जमा संदिग्ध काले धन की जांच के मामले में लोगों को ई-मेल के जरिए भी सम्मन व नोटिस भेज सकेंगे या फैक्स के जरिए सूचना मांग सकेंगे। इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। यह कानून अप्रेल, 2016 से अमल में आएगा।

(दै.भा., 01.06.15)

बेनामी संपत्ति जब्त करने को बनेगा कानून

केन्द्र सरकार ने कहा है कि काला धन पर रोक के लिए एक नया विधेयक लाया जाएगा, जिसमें बेनामी संपत्ति को जब्त करने और दोषियों के खिलाफ अभियोजन चलाने का प्रावधान होगा। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने दिलीप भाई पांड्या के एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि घरेलू काले धन को रोकने के लिए एक नया और अधिक व्यापक विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। यह बेनामी संपत्ति के रूप में काले धन के पैदा होने और इसे रखने के मुख्य कारणों को अवरुद्ध करेगा।

(दै.न., 29.04.15)

अब भ्रष्ट अफसरों का बचना मुश्किल

सीबीआई और केन्द्रीय सतर्कता आयोग(सीवीसी) के दो नए आदेशों से भ्रष्ट कर्मचारी व अफसरों पर शिकंजा कड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सीबीआई मुख्यालय ने देश के सभी कार्यालयों को दिए आदेश में अभियोजन स्वीकृति वाले सक्षम अधिकारी को अदालत में बयान की अनिवार्यता से छूट का प्रावधान किया है।

इधर सीवीसी ने भी अभियोजन पर फैसला करने के लिए सीबीआई और अन्य विभागों के साथ होने वाली संयुक्त बैठक की व्यवस्था खत्म कर दी है। जिससे भ्रष्टकर्मी व अफसरों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई और उन्हें दण्डित करने में देरी नहीं होगी। सीबीसी ने सभी केन्द्रीय मंत्रालयों व विभागों को इस बारे में आदेश भेजे हैं।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा (19)के तहत बिना अभियोजन स्वीकृति मिले किसी भी लोकसेवक के खिलाफ चालान पेश नहीं किया जा सकता। धारा 7 से 15 तक भ्रष्टाचार के संबंध में दाण्डिक प्रावधान किए गए हैं। इसमें लोकसेवक द्वारा किया दुराचार, आय से अधिक संपत्ति का मामला, पद के दुरुपयोग का मामला, काम के बदले रिश्वत लेना, लोकसेवक के भ्रष्ट व अवैध साधनों से प्रतिफल प्राप्त करने से लेकर अपराधिक अवचार के सभी मामले आते हैं। *(रा.प., 25.04.15)*

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
भरतपुर	मुकेश शर्मा	हैड कांस्टेबल, हलैना थाना, भरतपुर	5,000	दै.भा., 01.04.15
अजमेर	शीला चावला	सहायक यातायात निरीक्षक, रोडवेज	18,000	दै.भा. एवं दै.न., 01.04.15
जोधपुर	पवन कुमार शर्मा शैलेन्द्र भण्डारी चन्द्र प्रकाश कट्टा	मुख्य आयकर आयुक्त,आयकर विभाग, जोधपुर आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, जोधपुर ज्वेलर्स, शोरूम संचालक	15,00,000	रा.प. एवं दै.भा., 01.04.15 रा.प. एवं दै.भा., 02.04.15
भरतपुर	फूल सिंह वर्मा	एक्सईएन, बिजली निगम, भरतपुर	8,000	रा.प. एवं दै.भा., 03.04.15
जयपुर	बब्दुल नासिर	प्रवर्तन निरीक्षक, जेडीए जोन 10 ए, जयपुर	30,000	रा.प. एवं दै.भा., 16.04.15
बारां	निहाल सिंह मीणा	मैनेजर, एफसीआई, बारां	10,000	दै.भा., 16.04.15
सीकर	हनुमान प्रसाद	एक्सईएन, विद्युत वितरण निगम	47,000	रा.प. एवं दै.भा., 06.05.15
भीलवाड़ा	महेन्द्र गुप्ता नायब	तहसीलदार, बूंदी के डाबी में तैनात	30,000	दै.भा.एवं रा.प., 22.05.15
अजमेर	मनोज कुमार मीणा	वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक, खनिज विभाग	20,000	रा.प.एवं दै.न., 23.05.15
जोधपुर	नीलम रमानी	प्रभारी, अतिक्रमण निरोधक दस्ता, नगर निगम	50,000	दै.भा., 24.05.15
बीकानेर	दारा सिंह	पटवारी, चक 34 केवाईडी हल्का, बीकानेर	5,000	दै.न., 03.06.15
जयपुर	मान सिंह रामकुमार मीणा	एएसआई, ब्रह्मपुरी थाना, जयपुर एएसआई मान सिंह का परिचित व्यक्ति	15,000	दै.भा., 03.06.15
चितौड़गढ़	चेना राम राजकुमार यादव	थाना प्रभारी, डूंगला थाना, चितौड़गढ़ कांस्टेबल, डूंगला थाना, चितौड़गढ़	7,000	रा.प.एवं दै.भा., 09.06.15
जालौर	सोहन बरड़वा डूंगाराम	रानीवाड़ा सरस डेयरी यूनिट, जालौर एमडी, सहा.प्रबंधक, रानीवाड़ा सरस डेयरी, जालौर	74,000	दै.भा.एवं दै.न., 13.06.15
जोधपुर	नमोनारायण मीणा	असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, रेलवे, सूरतगढ़	50,000	दै.भा.एवं दै.न., 13.06.15
अजमेर	दिलीप सक्सेना राजीव पाल	सेफ्टी निदेशक, खान विभाग उपनिदेशक, खान विभाग	15,000	दै.न., 17.06.15
बांसवाड़ा	परसराम पूनिया	बीडीओ, आनंदपुरी बांसवाड़ा	20,000	दै.भा., 19.06.15
जयपुर	रमेश कुमार जैन	सा. सुरक्षा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम	15,000	दै.भा., 23.06.15
जयपुर	सोहनलाल वर्मा	असिस्टेंट टाउन प्लानर, जेडीए, जयपुर	50,000	दै.भा., 28.06.15

जरूरी है जनधन खातों में लेन-देन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी जनधन योजना के तहत करोड़ों खाते खुल चुके हैं। इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा के साथ-साथ ओवर ड्राफ्ट की सुविधा भी दी गई है। इन खातों के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं के हितलाभों व सरकारी सब्सिडी का नकद हस्तान्तरण भी शामिल है। खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलता है।

बैंक आंकड़ों से यह सामने आया है कि 53 फीसदी खाता धारक खाते से लेन-देन नहीं कर रहे हैं। ऐसा ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है। गांवों के कम शिक्षित लोग बैंकों की कागजी कार्रवाई से बचना चाहते हैं। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए खाते से लेन-देन होना जरूरी है। *(दै.न., 15.06.15)*

प्रदेश में 90 लाख परिवार गरीब

प्रदेश में करीब तीन चौथाई यानी 90 लाख परिवारों की सालाना आमदनी एक लाख रुपए से कम है और वे गरीब हैं। इन 90 लाख परिवारों में से 70 लाख ग्रामीण तथा 20 लाख शहरी क्षेत्र से हैं। इन परिवारों में 21 लाख बीपीएल श्रेणी में है, गरीब परिवारों में 51 फीसदी परिवार कृषि पर निर्भर हैं।

हाल ही गरीबी उन्मूलन को लेकर बनाई गई नीति आयोग से जुड़ी राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की पहली बैठक में यह सामने आया है। नीति आयोग चाहता है कि गरीब परिवारों की संख्या जो अभी 75 फीसदी के करीब है वह 40 फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मद्देनजर नीति आयोग ने गरीब परिवारों को समृद्ध बनाने के लिए राज्यों से सुझाव मांगे हैं। जल्द ही राज्य सरकार इस बारे में रिपोर्ट केन्द्र को भिजवाएगी। *(दै.न., 09.06.15)*

कौशल व आजीविका को अहमियत

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए कौशल व आजीविका विकास को सर्वोच्च अहमियत दे रही है। इसे बड़े पैमाने पर क्रियान्वित करने के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में 15 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने कहा कि कौशल विकास के लिए पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कोटा का चयन किया गया है। इसके लिए वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, रेल मंत्रालय और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे। युवाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल बढ़ाने से उनके लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।

(दै.न., 15.05.15)

जिलों में खुलेंगे योग अस्पताल

प्रदेश में सरकारी स्तर पर योग चिकित्सा भी शुरू होने जा रही है। इसके लिए जिलों में योग चिकित्सालय खुलेंगे। वर्तमान में जिलों में खुले आयुर्वेद जिला अस्पतालों के परिसर में ही योगा के चिकित्सालय शुरू किए जाने की योजना है।

शुरुआत में हर योग चिकित्सालय में एक योगा का डॉक्टर, एक आयुर्वेद विभाग से प्रतिनियुक्ति पर कम्पाउन्डर व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रखा जाएगा। योग चिकित्सालयों को आयुर्वेद के अधीन रखा गया है। इसलिए इनके भवन आयुर्वेद चिकित्सालय के परिसर में बनाए जा रहे हैं। भवन निर्माण की योजना तैयार की जा चुकी है। इन चिकित्सालयों में विभिन्न योगाभ्यास के द्वारा अनेक गंभीर बीमारियों का भी इलाज किया जा सकेगा।

(दै.न., 15.06.15)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अति लघु उद्यमियों और कारोबारियों को संस्थागत व किफायती दरों पर सुगमता से ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि विकास योजनाओं के केन्द्र में युवा शक्ति होनी चाहिए। योजना के तहत अति लघु उद्यमियों व कारोबारियों को 10 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकेगा।

इसके तहत शिशु कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 हजार रुपए, किशोर के तहत 50 हजार से 5 लाख रुपए तक और युवा के तहत 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण मिलेगा। इससे छोटे-छोटे काम करने वाले उद्यमियों के माध्यम से करोड़ों लोगों को रोजगार मिल सकेगा। *(न.नु. एवं दै.न., 09.04.15)*

न्याय आपके द्वार से मिली राहत

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्देश पर शुरू हुए न्याय आपके द्वार अभियान में कई पीढ़ियों पुराने मामलों का निपटारा हो रहा है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिल रही है।

राज्य में पहली बार 18 मई से शुरू हुए इस अभियान के तहत लगाई जा रही राजस्व लोक अदालतों ने 10 जून तक मात्र 24 दिनों में 5 लाख 33 हजार 299 मामलों का निपटारा कर लोगों को राहत पहुंचाई है। रोजाना करीब 22 हजार मामले सुलझ रहे हैं। इससे राजस्व अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम हुआ है। इनमें ज्यादातर मामले नामान्तरण, राजस्व नकल एवं राजस्व नकल में दुरुस्ती के हैं। इसके अलावा खाता विभाजन, खातेदारी अधिकार व पत्थरगढ़ी जैसे मामलों को भी सुलझाया जा रहा है।

(दै.भा., 12.06.15)

गरीबों के लिए तीन बड़ी योजनाएं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीबों व निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी तीन बड़ी योजनाओं का शुभारंभ करते हुए कहा है कि गरीबों को सहारे की नहीं, ताकत की जरूरत है। सरकार की इस सोच के साथ 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना', 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' और 'अटल पेंशन योजना' शुरू की जा रही है।

उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के जरिए सरकार इस तबके के लोगों को ऐसा सामाजिक सुरक्षा कवच पहनाना चाहती है जो उसे बुढ़ापे में सम्मान से जीने और जीवन में किसी भी खतरे से सुरक्षा प्रदान कर सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी प्रदेश में इन योजनाओं का राज्य स्तरीय शुभारंभ करते हुए कहा कि ये योजनाएं गरीबों के स्वाभिमान को बढ़ाने वाली साबित होंगी। *(रा.प. एवं दै.न., 10.05.15)*

बिजली चोरी रोकने में फिर नाकाम

करीब 90 हजार करोड़ का घाटा दर्शाकर आमजन के बिजली बिलों में कंरट दौड़ा रही बिजली कंपनियां बिजली चोरी पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रही है। पिछले साल के मुकाबले तीनों वितरण कंपनियों में बिजली चोरी का ग्राफ तीन फीसदी तक बढ़ गया है। इसमें अजमेर डिस्कॉम सबसे आगे है। वहां एक साल में बिजली छीजत करीब साढ़े चार फीसदी तक बढ़ गई है। इसके अलावा जयपुर डिस्कॉम में 2.77 व जोधपुर डिस्कॉम में सबसे कम 1.80 फीसदी छीजत ही बढ़ी है।

बिजली छीजत या चोरी का सीधा असर आमजन के बिल पर दिखता है। सूत्रों के मुताबिक एक फीसदी छीजत बढ़ने पर 250 करोड़ रुपए का फटका लगता है। ऐसे में तीन फीसदी छीजत के रूप में करीब 750 करोड़ रुपए का भार किसी भी रूप में जनता पर ही पड़ेगा। *(रा.प., 17.06.15)*

एनटीपीसी के हाथों में बिजलीघर

कोटा थर्मल समेत राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम (आरवीयूएनएल) के राज्य के सभी बिजलीघरों को जल्द ही नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) अपने हाथों में ले सकता है। राज्य व केन्द्र सरकार के स्तर पर आरवीयूएनएल व एनटीपीसी प्रबंधन के बीच इसके लिए प्रयास शुरू हो गए हैं।

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसका संकेत देते हुए आरवीयूएनएल के सीएमडी एन.एम. माथुर को आदेश दिए है कि एनटीपीसी के साथ राज्य के बिजलीघरों को लेकर समझौते की संभावनाओं के मद्देनजर बिजलीघरों में शुरू की जाने वाली दीर्घकालीन योजनाओं पर सोच समझकर खर्च किया जाए। *(रा.प., 20.06.15)*

बिजली खर्च बचाएगा एलईडी बल्ब

राज्य सरकार अब घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध करा रही है। प्रत्येक परिवार को 120 रुपए प्रति नग की दर पर सात वॉट के अधिकतम तीन बल्ब दिए जाएंगे। यह किश्तों में भी लिए जा सकते हैं। हर माह बिजली बिल के माध्यम से किश्त की वसूली की जाएगी।

हाल ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एलईडी बल्ब वितरण योजना की शुरुआत करते हुए बिजली की बचत के लिए नई तकनीकों को अपनाने पर बल दिया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 85 लाख उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर एलईडी बल्ब वितरित किए जाएंगे। इनके उपयोग से घरों में बिजली खर्च कम आएगा, जिससे लोगों को राहत मिल सकेगी। *(रा.प. एवं दै.भा., 05.05.15)*

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देगी सरकार

सौर, पवन और जैविक ऊर्जा को भविष्य में बिजली का सशक्त वैकल्पिक स्रोत मानते हुए सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले साल में इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू कर उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। सरकार ने सभी विभागों को ऊर्जा बचत के लिए काम करने एवं वैकल्पिक ऊर्जा का अधिकतम इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। सभी सरकारी परिसरों में भी 'एलइडी' बल्ब लगाए जाएंगे।

स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए गैर परम्परागत स्रोत से बिजली उत्पादन का 2017 तक 30 हजार मेगावाट की तुलना में 2022 तक एक लाख 75 हजार मेगावाट कर दिया है। 166246 मेगावाट सौर ऊर्जा, 45296 मेगावाट पवन ऊर्जा व अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से 3685 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। देश के 12 राज्यों में 17 सौर ऊर्जा पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इन पार्कों में 12759 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। *(दै.न., 23.05.15)*

रोज तीन सांसे छीन लेता है लापरवाही का करंट

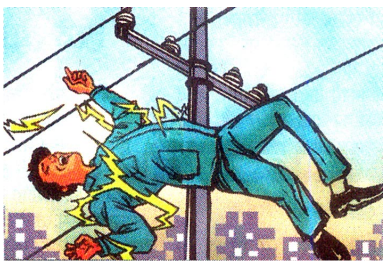

टोंक जिले के सांस गांव में झूलते बिजली तारों से बारातियों को ले जा रही बस में करंट फैलने के कारण 16 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के लिए यह कोई नई दुर्घटना नहीं है। प्रदेश में हर दिन औसतन तीन लोगों की मौत बिजली वितरण कंपनियों द्वारा बरती गई लापरवाहियों की वजह से होती है।

प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के नियमों की खुली अवहेलना की जा रही है। यही कारण है कि बिजली दुर्घटनाओं में जान गंवाने के मामले में राजस्थान पूरे देश में अव्वल है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2009 से 2014 तक छह साल में जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगम क्षेत्रों में 2051 लोगों ने बिजली करंट से जान गंवाई है। गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह संख्या 5000 हजार से भी ज्यादा है। विद्युत हादसों से हर साल करीब एक हजार सें ज्यादा लोग विकलांग हो जाते हैं। *(दै.भा., 16.06.15)*

बिजली बिल दे रहा जेब को झटका

इस बार बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिलों की भारी भरकम राशि जमा करानी पड़ रही है। उपभोक्ताओं को बिलों के साथ एक अलग बिल और थमाया जा रहा है जो कि सिक्योरिटी राशि (प्रतिभूति राशि) के नाम से वसूला जा रहा है। यह बिल बिजली कि बिल के साथ ही संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

समय पर इसे जमा नहीं कराने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी भी दी गई है। इसके चलते उपभोक्ताओं की चिंताएं बढ़ गई हैं। कई उपभोक्ताओं ने तो इस राशि को जमा कराने से ही इंकार कर दिया है। उनका कहना है कि कनेक्शन के समय सिक्योरिटी राशि जमा करा दी थी तो अब यह किस बात की अवैध वसूली की जा रही है। *(दै.न., 24.04.15)*

कृषि उपभोक्ताओं को मिली राहत

राज्य सरकार की घोषणा के बाद बिजली कंपनियों ने प्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई बिजली दरों में राहत दी है। कृषि उपभोक्ताओं को फरवरी से पहले लागू दर से बिजली बिल चुकाना होगा। बढ़ी हुई दर का खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। इससे राज्य के खजाने पर करीब 1400 करोड़ रुपए सालाना का भार पड़ेगा।

इस निर्णय से प्रदेश के करीब 12 लाख से भी अधिक कृषि उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। *(दै.न., 30.04.15)*

गांवों में शुद्ध पानी के दावे फेल

राज्य की 72 हजार से ज्यादा गांव-ढ़ाणियां पेयजल की गुणवत्ता से प्रभावित है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सभी 231 ब्लॉकों में पानी की जांच के लिए जलदाय विभाग की ओर से लैब स्थापित की जानी थीं। इसके लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। लेकिन निर्धारित अवधि तक महज 40 फीसदी ब्लॉकों में ही लैब खुली, जो भी स्टाफ की कमी से ना के बराबर है।

प्रस्तावित 35 करोड़ रुपए में से केवल 30 फीसदी राशि ही खर्च हो सकी और शेष अन्य कार्यों में खर्च कर दी गई। कहा यह जा रहा है कि केन्द्र ने योजना में कटौती कर दी, लिहाजा काम पूरा नहीं हो सका। *(दै.न., 02.04.15)*

पानी बर्बादी रोकने को बनेगा कानून

देश के महानगरों की तर्ज पर अब राज्य में भी पानी की बर्बादी रोकने के लिए कानून बनेगा। जलदाय विभाग ने इसके लिए वाटर एक्ट का प्रारूप तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है।

दरअसल, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल दोहन को लेकर आए दिन अति गहराई के ट्यूबवैल खोदे जा रहे हैं। इससे भूजल स्तर हर साल 10 मीटर से भी अधिक गिरता जा रहा है। साथ ही विभिन्न तौर-तरीकों से होने वाली पानी की बर्बादी पर अंकुश के लिए भी कोई सख्त कानूनी प्रावधान नहीं है।

नए कानून में पानी की बर्बादी रोकने के लिए सख्त प्रावधान किए जा रहे हैं। भूजल के सिंचाई व उद्योगों से होने वाले अतिदोहन पर भी रोक की कवायद चल रही है। कानून की पालना नहीं करने पर सख्त जुर्माने के प्रावधान भी किए जाएंगे। *(दै.न., 05.05.15)*

किसकी प्यास बुझा रहे टैंकर?

गर्मी के दिनों में टैंकरों से शहर को पानी पिलाने के उद्देश्य से शुरू की गई ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) की कवायद का फायदा आमजन को कागजों में ही मिल रहा है। जलदाय विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार भले ही प्रतिदिन जयपुर शहर में हजार से ज्यादा टैंकर पानी सप्लाई की बात आ रही है, लेकिन वास्तविकता इससे परे है।

कई जगह दो-चार दिन में टैंकर पहुंच रहे हैं, तो कई इलाकों में सप्लाई ही नहीं हो पा रही। अधिकतर टैंकरों में जीपीएस डिवाइस है ही नहीं, जिनमें हैं उनमें भी ज्यादातर में खराब पड़ी है। नियमों के तहत टैंकर चालक के पास एक पर्ची होती है, वह जहां भी पानी सप्लाई करता है वहां पर उपस्थित उपभोक्ता से हस्ताक्षर और फोन नंबर लेता है। लेकिन ज्यादातर टैंकर वाले ऐसा नहीं करते।

(रा.प., 15.05.15)

डार्कजोन, फिर भी निचोड़ रहे पानी

शहर में डार्कजोन इलाकों में भी धड़ल्ले से जल का दोहन हो रहा है। झोटवाड़ा क्षेत्र डार्कजोन में है, लेकिन वहां निजी टैंकर संचालक मनमर्जी से बोरिंग की खुदाई कर पानी का दोहन कर रहे हैं। कालवाड़ रोड पर पुलिस के मूकदर्शक बने रहने से बोरिंग खोद कर निजी टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पुलिस को बार-बार बोरिंग खुदाई की शिकायतें की जाती है लेकिन पुलिस फोरी कार्रवाई कर चली जाती है। नागरिकों का कहना है कि पुलिस के जाते ही बोरिंग खोदने का काम वापस शुरू हो जाता है। *(रा.प., 16.05.15)*

नालों में बह रहा भूमि के हक का पानी

बारिश के पानी को सहेज कर भूजल स्तर बढ़ने की उम्मीद जेडीए और नगर निगम की अनदेखी की भेंट चढ़ती जा रही है। 300 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्रफल के भूखण्ड पर मकान निर्माण के दौरान रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना जरूरी है, लेकिन जयपुर में इसका पालन नहीं हो रहा है।

शहर में 300 से ज्यादा क्षेत्रफल पर लाखों भवन निर्मित हैं, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम महज 5 से 8 फीसदी भवनों में ही बनाए गए हैं। इनमें से भी कई तो शो-पीस मात्र हैं। जेडीए और नगर निगम दोनों ही मॉनिटरिंग में फेल साबित हुए हैं। नियमों को ताक पर रखने वालों से जुर्माना तक नहीं वसूला गया जबकि दिल्ली में इस पर सख्ती बरती जा रही है। *(रा.प., 14.05.15)*

बदले जाएंगे डेढ़ लाख बन्द मीटर

राजधानी में बन्द पड़े पानी के करीब डेढ़ लाख मीटर बदले जाएंगे। बहुमंजिला इमारतों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पायलट प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। पानी के सैकड़ों अवैध कनेक्शनों को अभियान चलाकर वैध किया जाएगा। पाइप लाइनों के लीकेज से पानी की बर्बादी को रोकने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी, मोबाइल वैन गन्दे पानी की जांच के लिए सैम्पल लेगी। जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी की जयपुर शहर के विधायकों के साथ शहर की सुचारू पेयजल व्यवस्था के लिए हुई बैठक में ऐसे कई फैसले लिए गए हैं।

बैठक मे जलदाय विभाग, नगर निगम और जेडीए के अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में किरणमाहेश्वरी ने पेयजल व्यवस्था के साथ बेहतर पानी के प्रबन्धन पर भी चर्चा की। *(रा.प. एवं दै.न., 18.06.15)*

जिले के 12 ब्लॉक में गिरा भू-जल

जयपुर जिले के हर ब्लॉक का भू-जल स्तर गिरता जा रहा है। बारह ब्लॉकों में बीते साल भू-जल स्तर 0.20 मीटर से 3.60 मीटर तक नीचे चला गया। यह खुलासा भू-जल विभाग की वर्ष 2014 की रिपोर्ट से हुआ है। सांभर के रेनवाल में भू-जल सर्वाधिक 3.60 मीटर नीचे है।

भू-जल वैज्ञानिकों ने जिले के सभी 13 ब्लॉक के अलग-अलग गांव और ढ़ाणी में भू-जल स्तर की रीडिंग ली है और उसके आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है। विभाग हर साल 15 मई से 15 जून तक बरसात के पहले और 15 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक बरसात के बाद जगह-जगह से सर्वे के लिए सैम्पल लेता है, इससे रिपोर्ट तैयार होती है।

(रा.प., 06.06.15)

राज्य की दशा बदल देंगी महिलाएं!

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि राज्य की महिलाएं घूंघट वाली छवि से बाहर आने लगी हैं। अपनी मेहनत से स्वावलम्बन और सम्मान हासिल करने वाली महिलाएं राज्य की दशा व सोच बदल देंगी।

उन्होंने राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के विस्तार कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि महिलाएं आर्थिक रूप से सम्पन्न होती हैं तो उनकी पहचान बनती है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी पर चर्चा करते हुए राजे ने कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इससे वे अपने गांव में लोगों का प्राथमिक उपचार कर तत्कालित राहत प्रदान कर सकती हैं। *(रा.प. एवं दै.न., 02.06.15)*

घटा संस्थागत प्रसव का ग्राफ

सरकारी अस्पतालों में जननी के लिए निःशुल्क जांच, दवा, भोजन व ट्रांसपोर्ट की सुविधा के बावजूद वर्ष 2014 के मुकाबले संस्थागत प्रसव का आंकड़ा गिरा है। आंकड़ों के हिसाब से 23 हजार डिलीवरी कम होने से 25 से भी अधिक जिलों में रोजाना 60 से 65 डिलीवरी घट रही है।

सरकारी अस्पतालों में सोनोग्राफी करानी हो या आउटडोर में दिखाना हो इसके लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। इसी तरह खून व यूरिन की जांच में भी लंबे इंतजार के चलते प्रसव का ग्राफ गिर रहा है। जबकि चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र राठौड़ का कहना है कि राज्य में संस्थागत प्रसव 80 फीसदी से अधिक है तथा गुणवत्ता पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। *(दै.भा., 07.06.15)*

प्रदेश में 15 हजार बच्चे लापता

प्रदेश में पांच साल में करीब 15 हजार बच्चे लापता हुए हैं, लेकिन उनको ट्रेस करने और उनकी घर वापसी में सरकार का ट्रेकिंग सिस्टम पूरी तरह फेल साबित हुआ है।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास कोई आंकड़ा तक नहीं कि कितने बच्चे लापता हुए और कितने ट्रेस किए गए हैं, जबकि आयोग का गठन ही लापता बच्चों की प्रभावी मॉनिटरिंग करने के मकसद से हुआ था। आयोग को सभी बाल सुधार गृहों को ट्रेकिंग सिस्टम से जोड़ा जाना था लेकिन सरकारी 106 के अलावा किसी निजी बाल सुधार गृहों को इससे नहीं जोड़ा गया। *(दै.भा., 09.04.15)*

समाप्त हो सरपंच पति प्रथा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस पर पंचायतों में महिलाओं के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि ग्राम पंचायतों में सरपंच पति की प्रथा समाप्त होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक समारोह में कुछ लोग अपना परिचय सरपंच पति के रूप में देते हैं। कानून ने महिलाओं को काम करने का अधिकार दिया है, उन्हें खुद काम करने दीजिए। महिलाओं को भी इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने 'अपना गांव अपना विकास' का नया नारा देते हुए आह्वान किया कि पांच सालों में गांवों का कायाकल्प होगा। *(रा.प. एवं दै.भा., 25.04.15)*

गरीबों को 4 फीसदी पर होम लोन

केन्द्र सरकार ने '2022 तक सबके लिए आवास' मिशन को मंजूरी दे दी है। सस्ते घरों को बढ़ावा देने के लिए शहरी गरीबों की ब्याज सब्सिडी बढ़ाकर 6.50 फीसदी करने का फैसला किया गया है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों को चार फीसदी दर पर होम लोन मिल सकेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।

मिशन के तहत अगले सात साल में दो करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है। बनने वाले मकान की रजिस्ट्री परिवार की महिला मुखिया या पति-पत्नी दोनों के नाम से हो सकेगी। *(दै.भा., 18.06.15)*

छात्राओं को मुफ्त सेनेटरी नेपकीन

प्रदेश में सरकार की ओर से कक्षा 9 से 12 तक की राजकीय विद्यालयों की छात्राओं एवं बीपीएल परिवार की बालिकाओं को मुफ्त सेनेटरी नेपकिन दिए जाएंगे। इसकी शुरुआत 11 जुलाई से होगी।

चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 16 लाख बालिकाओं और बीपीएल परिवारों की स्कूल नहीं जाने वाली करीब चार लाख बालिकाओं को प्रतिमाह 10-10 सेनेटरी नेपकीन का पैकेट उपलब्ध करवाया जाएगा। नेपकीन वितरण संबंधित विद्यालयों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से होगा। *(दै.भा., 03.06.15)*

महिलाएं नहीं दे पा रही बच्चे को जन्म

एक ताजा सर्वे के मुताबिक शहरी इलाकों में हर चौथी महिला किसी न किसी कारण से दूसरे बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही। समस्या जीवन शैली की तो है ही, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई भी है। यह सर्वे नोवा आईवीआई फर्टीलिटी ने किया है।

नोवा आईवीआई फर्टीलिटी द्वारा अपने नौ सेंटरों पर किए गए सर्वे में बताया गया है कि पहले बच्चे के जन्म में देरी, पेल्विक इंफेक्शन, स्पर्म क्वालिटी व क्वांटिटी में बदलाव, वजन बढ़ने से ओवरी में विकार व पुरुषों में वजन बढ़ने से स्पर्म की कमी होना जैसे कारणों से प्रजनन शक्ति कम होने से दूसरे बच्चे के जन्म में दिक्कत आ रही है। *(दै.भा., 24.05.15)*

महिलाओं को मिले नौकरी में आरक्षण

हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार बालिकाओं को नि:शुल्क शिक्षा और महिलाओं का नौकरी में आरक्षण बढ़ाकर 50 फीसदी करने पर विचार करें, ताकि कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हो सके।

मुख्य न्यायाधीश सुनिल अंबवानी व न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश अधिवक्ता एसके गुप्ता की कन्या भ्रूण हत्या को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार शादियों में होने वाले खर्चे को सीमित करने के लिए भी प्रयास करे। *(दै.भा., 16.04.15)*

जन स्वास्थ्य

मुफ्त मिलेगा स्वास्थ्य बीमा

प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं को और मजबूत बनाने व आमजन के स्वास्थ्य का सूचकांक अधिक बेहतर बनाने के लक्ष्य को लेकर राज्य में अब स्वास्थ्य नीति जारी की जाएगी। राज्य में पहली बार कोई सरकार इस तरह की नीति जारी कर रही है। चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने नीति तैयार करने के लिए एक राज्य स्तरीय और चार विभिन्न चिकित्सा क्षेत्रों के आधार पर नीति में सुझाव देने के लिए चार उप-समितियों का गठन किया है। समितियां 15 सितम्बर तक नीति में शामिल की जाने वाली सिफारिशों की रिपोर्ट देगी।

इसके अलावा राज्य सरकार प्रदेश में जल्द ही स्वास्थ्य बीमा योजना लाएगी। योजना के तहत एक करोड़ परिवारों को तीन लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। योजना के दायरे में प्रदेश का हर व्यक्ति शामिल होगा। सरकार परिवार को यूनिट मानते हुए बीमा कंपनियों को प्रति परिवार 395 रुपए बतौर प्रीमियम चुकाएगी। इसमें मेडिकल इमरजेंसी के समय साधारण ऑपरेशन के लिए 30 हजार रुपए और कठिन ऑपरेशन केस में 3 लाख रुपए तक का मेडिकल कवर होगा। सरकार हर परिवार को हैल्थ कार्ड देगी। उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा बजट में घोषित यह योजना अक्टूबर के अंत तक लागू हो जाएगी। *(दै.न., 25.04.15 एवं दै.भा., 02.06.15)*

मानक सेवा

बिना हॉलमार्क के गहनों में सोना अशुद्ध

हॉलमार्क के बिना बेचे जा रहे सोने के गहनों में मिलावट बढ़ती जा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा कराए गए सर्वेक्षणों में यह बात सामने आई है। सर्वे के अनुसार नॉन हॉलमार्क गहनों में सोना 45 फीसदी तक अशुद्ध पाया गया।

उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने भी लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सरकार ने सोने के गहनों के दो सर्वे 2002 और 2006 में कराए थे। पहले सर्वे में 80 फीसदी नमूने फेल हो गए। दूसरे में 90 फीसदी नमूने जांच में खरे नहीं उतर सके। इनमें औसत अशुद्धि 11 से बढ़कर 13.5 फीसदी थी। अधिकतम अशुद्धि पहले 38.6 फीसदी थी, जो बाद में बढ़कर 44.6 फीसदी पर पहुंच गई। कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी हाल ही कहा था कि देश में बिकने वाले नॉन हॉलमार्क सोने के गहनों में 40 फीसदी अशुद्धि है।

यदि 13.5 प्रतिशत औसत अशुद्धि के आधार पर गणना करें तो देश में 50 फीसदी सोने के गहने बिना हॉलमार्क के बिकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो पिछले साल ग्राहकों को 15,300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वर्ष 2014 में देश में 842.7 टन सोने की खपत हुई। देश में अभी भारतीय मानक ब्यूरो से मान्यता प्राप्त 331 हॉलमार्क केन्द्र हैं। *(दै.भा., 13.05.15)*

दूरसंचार सेवाएं

टावरों से नहीं बसूले 4300 करोड़ रुपए

दूरसंचार विभाग रेडिएशन नियमों का उल्लंघन कर मोबाइल टावर लगाने वाले टेलीकॉम ऑपरेटर्स और कंपनियों पर कार्रवाई करने में नाकाम रहा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने इस बात का खुलासा करते हुए दूरसंचार विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल उठाए हैं। कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि टेलीकॉम कंपनियों पर 4,300 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाना था, लेकिन दूरसंचार नियामक संस्था हाथ पर हाथ धरे बैठी रही।

कैग द्वारा संसद में पेश की गई रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि कई स्थानों पर मोबाइल टावर से निकलने वाले विकीरण की मात्रा काफी अधिक है। *(रा.प., 10.05.15)*

वित्तीय सेवाएं

निवेशकों के लिए वित्तीय जागरूकता जरूरी: सेबी

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अध्यक्ष यू.के.सिन्हा ने कहा है कि आज के दौर में लोगों के बीच वित्तीय जागरूकता फैलाने की सख्त जरूरत है। उन्होंने निवेशकों को झांसा देकर भारी कमीशन कमाने वाले विभिन्न कंपनियों के एजेंटों से भी सावधान रहने को कहा है।

सिन्हा ने कहा कि बाजार में होने वाले घोटालों से निवेशकों को बचाने के लिए उनके बीच वित्तीय जागरूकता अहम भूमिका निभा सकती है। उन्होंने बताया कि निवेशकों को जागरूक करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्रवाई जारी है और 15 राज्यों ने इस पर अमल भी शुरू कर दिया है। सेबी ने निवेशकों के लिए 14 भाषाओं में 24 घंटे निःशुल्क परामर्श सेवा शुरू की है, जिससे उनकी समस्याओं का निराकरण संभव है। पिछले छह साल के दौरान छह लाख निवेशकों ने इस सेवा का लाभ उठाया है। *(दै.भा., 07.06.15)*

पर्यावरण

बीमार बना देगा यह ज्यादा शोर

रोजमर्रा की जिन्दगी में हम तय मानकों से लगभग दोगुना शोर झेल रहे हैं। दिखाई नहीं देने वाला यह प्रदूषण भी हमारे शरीर को कई बीमारियां दे रहा है। यहां तक कि अस्पताल और पब्लिक पार्क भी प्रदूषण की जद में हैं।

पर्यावरण दिवस के मौके पर कंसल्टिंग इंजीनियर्स ग्रुप लिमिटेड (सीईजी) ने एमएनआईटी क्रॉसिंग, गौरव टावर मेन गेट, गौरव टावर के अन्दर, पांचबत्ती सर्किल, अजमेरी गेट, फोर्टिस अस्पताल मेन गेट, दुर्लभजी अस्पताल के अंदर, कैंसर अस्पताल, स्मृति वन, सेन्ट्रल पार्क, सवाई मानसिंह अस्पताल, गांधी नगर और मालवीय नगर औद्योगिक क्षेत्र समेत 17 जगहों पर ध्वनि प्रदूषण का स्तर जांचा। इनमें से 16 जगहों पर प्रदूषण तय मानकों से ज्यादा पाया गया। विशेषज्ञ डॉ. रेणु जैन के मुताबिक शोर के कारण बहरेपन और चिड़चिड़ापन, हाई ब्लड प्रेशर, सिरदर्द, हार्ट अटैक की आशंका रहती है। *(दै.भा., 06.06.15)*

उपभोक्ता फैसले

रेस्टोरेंट को भारी पड़ा आलू टिकिया के 50 पैसे ज्यादा लेना

जयपुर निवासी निशा ने अगस्त 2012 में मैक डोनाल्ड फैमिली रेस्टोरेंट से आलू की तीन टिकिया वेट सहित 85 रुपए 50 पैसे में खरीदी। रेस्टोरेंट ने 50 पैसे को राउंड कर 86 रुपए का बिल बनाकर उनसे राशि वसूल ली। निशा ने उपभोक्ता मंच जयपुर में रेस्टोरेंट के खिलाफ 50 पैसे अधिक वसूलने का परिवाद दर्ज कराया।

मामले की सुनवाई पर रेस्टोरेंट की ओर से जवाब में कहा गया कि रिजर्व बैंक ने 50 पैसे या इससे ज्यादा को पूरे रुपए में मानने व 50 पैसे से कम राशि को इग्नोर करने के लिए कहा हुआ है।

रेस्टोरेंट की ओर से दिए इस तर्क को मंच ने उचित नहीं मानते हुए कहा कि 50 पैसे नहीं थे तो उपभोक्ता से 50 पैसे छोड़कर 85 रुपए ही वसूलने चाहिए थे। ऐसा न जाने रेस्टोरेंट ने कितने बिलों में किया होगा। मंच ने इसे अनुचित ट्रेड प्रेक्टिस माना और मैक डोनाल्ड रेस्टोरेंट पर 55 हजार रुपए का हर्जाना लगाया। इसमें से 25 हजार रुपए उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराए जाएंगे और 25 हजार रुपए उपभोक्ता निशा को अदा करने होंगे। साथ ही मंच ने ज्यादा वसूले 50 पैसे लौटाने व उस पर अगस्त 2012 से भुगतान करने तक 10 फीसदी ब्याज भी अदा करने के निर्देश दिए हैं। *(दै.भा., 04.06.15)*

माई कैब टैक्सी को भारी पड़ा किराये के तीन रुपए ज्यादा लेना

चांदपोल निवासी डॉ. रूपनारायण मीणा ने माई कैब टैक्सी कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता मंच जयपुर में परिवाद दर्ज कराया। अपने परिवाद में मंच को बताया कि उन्होंने 20 जून 2010 को दोपहर 12.45 बजे माई कैब टैक्सी कम्पनी को फोन कर टैक्सी मंगाई। टैक्सी का उपयोग करने के बाद टैक्सी ड्राईवर से उन्होंने किराया पूछा तो उसने 270 रुपए बताए और उसकी रसीद बना कर दी। जबकि उनका किराया 267 रुपए ही बनता था। उन्होंने ड्राईवर को तीन रुपए ज्यादा देने से मना किया तो वह शोर मचाने लगा व उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। उन्हें मजबूर होकर तीन रुपए ज्यादा देने पड़े। इसके बाद उन्होंने कंपनी में इसकी शिकायत भी दर्ज की लेकिन कोई कार्यवाई नहीं हुई।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच ने टैक्सी किराए के तीन रुपए ज्यादा वसूलने को अनफेयर ट्रेड प्रेक्टिस मानते हुए माई कैब टैक्सी कंपनी को आदेश दिया कि वह उपभोक्ता डॉ. रूपनारायण मीणा को 20 हजार रुपए बतौर हर्जाना अदा करे। साथ ही कंपनी को यह भी निर्देश दिया कि वह परिवादी से ज्यादा वसूले गए तीन रुपए वापस करे। *(दै.भा., 09.06.15)*

खास समाचार

उपभोक्ता संरक्षण कानून में होगा संशोधनः बन्द होंगे भ्रामक विज्ञापन

यह तेल लगाने से गंजे सिर पर बाल उग जाएंगे, इस कैप्सूल को खाने से मोटापा कम हो जाएगा जैसे लोगों को बरगलाने वाले विज्ञापन अब बन्द होंगे। सरकार इन पर रोक लगाने के लिए इसी मानसून सत्र के दौरान उपभोक्ता संरक्षण कानून में संशोधन का प्रस्ताव लाएगी। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने यह जानकारी दी है।

उन्होंने बताया कि सरकार केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण भी बनाने जा रही है। ताकि सही तरीके से निगरानी की जा सके। सरकार ने मैगी मामला भी भ्रामक विज्ञापन के चलते कार्रवाई के लिए केन्द्रीय उपभोक्ता आयोग को सौंपा है। उन्होंने कहा कि अभी तक फूड सेफ्टी एजेंसी तभी कार्रवाई करती थी जब कोई शिकायत करे। अब इसे पॉवरफुल बनाया जा रहा है, वह अब कभी भी बिना शिकायत के खाद्य सामग्री के किसी भी मामले में जांच कर कार्रवाई कर सकेगी। *(दै.भा., 07.06.15)*

कानून में यह होंगे बदलाव

- *जुर्माना बढ़ेगा। जिला स्तर पर एक करोड़, राज्य स्तर पर 10 करोड़ व राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग 100 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकेगा।*
- *ई-कॉमर्स मामले देखने के लिए नए कानून में व्यवस्था होगी।*
- *उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण मौजूदा फोरम से अलग होगा। वह किसी भी मामले में स्वतः संज्ञान ले सकेगा तथा कार्रवाई कर सकेगा।*

ग्राहक सुविधा केन्द्र की स्थापना

भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सौजन्य से 'कट्स' इन्टरनेशनल द्वारा शीघ्र ही ग्राहक सुविधा केन्द्र की स्थापना की जाएगी। केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने 18 मार्च, 2015 को दिल्ली में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के उपलक्ष में आयोजित राष्ट्रीय सेमीनार में इस आशय का पत्र 'कट्स' प्रतिनिधि को प्रदान किया था।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

इस सन्दर्भ में 30 जून, 2015 को मंत्रालय व संस्था के मध्य एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केन्द्र का शुभारम्भ जल्द ही उचित समय पर किया जाएगा।

ग्राहक सुविधा केन्द्र
डी-218A, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
ई-मेलः gsk@cuts.org फोनः +91.141.4015395

स्त्रोतः रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.513 3259 फैक्सः 228 2485, टेलीफैक्सः 401 5395, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org के लिए जयपुर प्रिंटर्स प्रा. लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।